प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 31.01.2025

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता ।**
- **थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा लूट के मुकदमें मे वांछित चल रहे 25,000 रुपये के ईनामी अभियुक्त को मय 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर,01 अदद जिंदा(मिस) कारतूस व घटना में लूटे गये रुपये में से 3750 रुपये के साथ किया गया गिरफ्तार ।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 27.10.2024 को वादी श्री रामचद्र दीक्षित पुत्र स्व. श्याम सुन्दर दीक्षित निवासी मालवीय नगर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात द्वारा स्वयं के साथ हुई लूट के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसपर मु0अ0सं0 216/2024 धारा 309(4) बीएनएस बनाम 03 नफर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये 25,000 रुपये के ईनामिया अभियुक्त रजनीश कटियार पुत्र राजनारायण उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम गोपालपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 31.01.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर वहद ग्राम हरिहरपुर, हरिहरपुर चकरोड़ की तरफ गुलाब के खेत के पास से समय करीब 07.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01अदद जिन्दा (मिस) कारतूस 315 बोर व लूटे गये रुपये में से 3750 रुपये बरामद हुये। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –
1.रजनीश कटियार पुत्र राजनारायण निवासी ग्राम गोपालपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण- रजनीश कटियार पुत्र राजनारायण निवासी ग्राम गोपालपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात जुर्म को इकबाल करते हुए बताया कि साहब मै पेशे से ड्राइवर हूं। मैने 1. नितिन कुमार पुत्र रामकुमार कटियार निवासी ग्राम गोपालपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात 2. शिवम यादव पुत्र निरपत सिंह निवासी ग्राम गुरदही खुर्द थाना सिकन्दरा कानपुर देहात 3. मंगल बाथम उर्फ ललित कुमार पुत्र सुनील बाथम निवासी ग्राम गोपालपुर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात के साथ मिलकर दिनांक 27.10.2024 को सिकन्दरा के गल्ला व्यापारी रामचन्द्र दीक्षित से तमंचा दिखाकर लूट की थी। रामचन्द्र दीक्षित के पीछे एक व्यक्ति और बैठा था जिसके हाथ मे एक झोला था, जिसमे रूपये व चाबी का गुच्छा था। मैने पूर्व से जानकारी की थी कि रामचन्द्र दीक्षित रविवार व बुधवार को हरिहरपुर बाजार के दिन गल्ला खरीदने जाता है।मै हरिहरपुर रोड पर रामचन्द्र दीक्षित के आने के सूचना शिवम ,मंगल व नितिन को दे रहा था जब रामचन्द्र दीक्षित सिकन्दरा की ओर से हरिहरपुर रोड गोपालपुर बम्बी पर पहुचने वाले थे तो मै वही पर थोडी दूरी पर मौजूद था तो मैने, मेरी मोटरसाइकिल पर सवार शिवम ,नितिन, व मंगल को इशारे से रामचन्द्र दीक्षित के बारे मे बताया। शिवम,नितिन व मंगल ने मेरी मोटरसाइकिल से घटना को अंजाम दिया। शिवम ने मेरा तमंचा जो आपने मुझसे बरामद किया है पीछे बैठे व्यक्ति व रामचन्द्र दीक्षित पर तान कर पीछे बैठे व्यक्ति के हाथ से झोला छीन लिया था और उनकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली ताकि वह हमारा पीछा न कर सके और रामचन्द्र दीक्षित की शर्ट की ऊपर की जेब से कीपैड मोबाइल भी निकाल लिया था, जिससे वह घटना के सम्बन्ध मे किसी को जानकारी न दे सके। फिर हम चारो लोग उसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से हरिहरपुर की तरफ भाग गये थे। मोबाइल को हम लोगो द्वारा स्विच ऑफ कर आगे कहीं रास्ते मे फेंक दिये थे। जब हम लोगो ने बैग को खोला तो उसमे 2,50,000 रूपये व एक चाबी का गुच्छा निकला था। चाबी के गुच्छे को हमने वही फेंक दिया था यही रूपये हमने आपस मे बांट लिये थे।, मेरे हिस्से के रूपये मे से जो शेष 3750 रूपये बचे है वह आपने बरामद कर लिये है। बाकी पैसा मैने बाहर घूमफिर कर खर्च कर लिया है।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 216/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0स0 207/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0स0 209/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0स0 178/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0स0 210/2022 धारा 379/411/420 भादवि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0स0 346/2024 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया ।

बरामदगी का विवरण-

1. 01अदद तमंचा 315 बोर ।
2. 01 अदद कारतूस जिन्दा (मिस) 315 बोर ।
3. 3750 रुपये ।

गिरफ्तार करने वाली थाना सिकन्दरा पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री महेश कुमार।
2. उ0नि0 श्री चरण सिंह।
3. कां0 98 गौरव कुमार ।
4. कां0 1043 पुष्पेन्द्र कुमार।
5. का0 554 नितिन कुमार ।